



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1	2	3												
27.11.2011	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ विविध अनुमति वाद संख्या-83/2008 बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)</p> <p>श्रीमती मिनी करकेटा, पति-स्व0 डेनियल करकेटा, साकिन-मोहल्ला-कुर्जी, पो0-सदाकत आश्रम, थाना-दीधा, जिला-पटना..... आवेदिका</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>बिहार सरकार..... विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह विविध अनुमति वाद आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु के उपरान्त पटना में पदस्थापित होने के फलस्वरूप मौजा-मरंगा, थाना नं0-110, खाता नं0-620, खेसरा नं0-2075, रकवा-2 (दो) कट्टा जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।</p> <p>आवेदिका का कथन है कि उनके पति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, भट्टा बाजार शाखा में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु दिनांक 04.10.1999 को हो गयी। प्रश्नगत भूमि उनके पति द्वारा अपने कार्यकाल में सपरिवार बसने के लिये खरीद की गयी थी। उनके मृत्यु के उपरान्त आवेदिका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा, पटना में पदस्थापित है। वहीं इस भूमि का राशि प्राप्त कर जमीन खरीद कर रह रही है। इसलिये प्रश्नगत भूमि बेचना चाहती है।</p> <p>इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 1490, दिनांक 07.09.2011 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि :-</p> <p>आवेदिका जाति के उरांव है, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा, पटना में कार्यरत है।</p> <p>आवेदिका के पति डेनियल करकेटा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा, दुर्गावाड़ी, भट्टा बाजार, पूर्णियाँ में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।</p> <p>आवेदिका के पति जिस समय पूर्णियाँ में कार्यरत थे, उसी समय उन्होंने यह जमीन कय किया था ताकि सपरिवार के साथ स्थायी रूप से बस सकें।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का ब्यौरा :</p> <table border="1" data-bbox="319 1691 1300 1908"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा नं0</th> <th>रकवा</th> <th>थक्कय विलेख संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मरंगा</td> <td>110</td> <td>620</td> <td>2075</td> <td>0.04.02 कड़ी</td> <td>3560 24.02.1996</td> </tr> </tbody> </table>	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	थक्कय विलेख संख्या	मरंगा	110	620	2075	0.04.02 कड़ी	3560 24.02.1996	
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	थक्कय विलेख संख्या									
मरंगा	110	620	2075	0.04.02 कड़ी	3560 24.02.1996									

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>आवेदिका के पति के द्वारा केवाला खरीदकर नामान्तरण वाद संख्या-620/1995-96 के द्वारा कराकर जमाबन्दी संख्या-5372 पर नाम दर्ज है। आवेदिका अपने पति के मृत्यु के पश्चात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा, पटना में कार्यरत है तथा वहीं बस गयी है, इसलिये इस जमीन को बेचना चाहती है। अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित्त पूर्व संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	